

पटना उच्च न्यायालय
2015 की आपराधिक विविध वाद संख्या 31347

पीएस से उत्पन्न. कांड संख्या-75 वर्ष-2015 थाना-मधुबनी शिकायत मामला जिला-मधुबनी

कंचन झा, पत्नी संदीप कुमार झा, निवासी, ग्राम-सरीसाप, थाना-बेनीपट्टी, जिला-
मधुबनी।

... .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य
2. लल्लन कुमार मिश्रा, पुत्र लक्ष्मण मिश्रा, निवासी ग्राम-बेहटा, थाना-बेनीपट्टी, जिला-
मधुबनी।

.....विपरीत पक्ष

के साथ

2016 की आपराधिक विविध संख्या 4642

पीएस से उत्पन्न. कांड संख्या-75 वर्ष-2015 थाना-मधुबनी शिकायत मामला जिला-मधुबनी

संदीप कुमार, पिता-जय नाथ झा, निवासी, ग्राम- सरिसप, थाना- बेनीपट्टी, जिला-
मधुबनी

... .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य
2. लल्लन कुमार मिश्रा, पुत्र-लक्ष्मण मिश्रा,, निवासी, ग्राम-बेहटा, थाना बेनीपट्टी, जिला-
मधुबनी

... .. विपरीत पक्ष

उपस्थिति :

(आपराधिक विविध संख्या 31347/2015 में)

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से : श्री रतनाकर झा, अधिवक्ता

विपक्षी पक्ष/पक्षों की ओर से : श्री अभय कुमार, एपीपी

(आपराधिक विविध संख्या 4642/2016 में)

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से : श्री रतनाकर झा, अधिवक्ता

विपक्षी पार्टी/दलों के लिए : श्री झारखंडी उपाध्याय, एपीपी

=====

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881-धारा 138 और धारा 142-भारतीय दंड संहिता, 1860-धारा 420-धोखाधड़ी के आरोप को आकर्षित करने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है-क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट ने अधिनियम, 1881 की धारा 142 के प्रावधानों के अनिवार्य अनुपालन का पालन किए बिना संज्ञान लिया-विवादित आदेश, जिसके सभी परिणाम कार्यवाहियों के साथ अपास्त और अभिखंडित किया जाता है-आवेदन अनुज्ञात किया गया ।

(पैरा 10, 11 और 12)

(2000) 2 एस.सी.सी. 636; 1992 अनुपूरक (1) एस.सी.सी. 335-निर्भर किया गया

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री चन्द्र शेखर झा
मौखिक निर्णय

दिनांक : 06-05-2024

2015 की आपराधिक विविध संख्या 31347

याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान काउंसिल और उत्तरदाताओं की ओर से विद्वान वकील को सुना गया।

2. वर्तमान निरस्तीकरण याचिका सीआर संख्या 2015 का 90/75 में पारित दिनांक 08.05.2015 के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया, जिसमें विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी मधुबनी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 138 के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान लिया था।

3. विपक्षी पार्टी नं. 2 वर्तमान कार्यवाही में शामिल होती है ।

4. शिकायत याचिका के सार से यह प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता ने दिनांक 29-01-2015 को विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मधुबनी की अदालत में शिकायत मामला दर्ज कराया था, जिसमें कहा गया था कि उसकी बेनीपट्टी बाजार में हार्डवेयर, सीमेंट आदि की दुकान है, जहां घटना की तिथि यानी 05-08-2014 को आरोपी/याचिकाकर्ता उसके घर आए और उससे लोहे की छड़ और सीमेंट उधार देने का अनुरोध किया, जिसके लिए उनके पास वर्तमान में कोई पैसा नहीं था और देय राशि का भुगतान विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मधुबनी के न्यायालय में किया जाएगा। इसमें कहा गया था कि उसकी बेनीपट्टी बाजार में हार्डवेयर, सीमेंट आदि की दुकान है, जहां घटना की तिथि यानी 05-08-2014 को आरोपी/याचिकाकर्ता उसके घर आए और उससे लोहे की छड़ और सीमेंट उधार देने का अनुरोध किया, जिसके लिए उनके पास वर्तमान में कोई पैसा नहीं था और देय राशि का भुगतान विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मधुबनी के न्यायालय में किया जाएगा। 05-08-2014 को आरोपी/याचिकाकर्ता उसके घर आये और उससे लोहे की छड़ और सीमेंट उधार देने का अनुरोध किया, जिसके लिए उनके पास वर्तमान में कोई पैसा नहीं था और बकाया राशि एक महीने के भीतर भुगतान की जाएगी। आरोपी शिकायतकर्ता के अनुरोध पर, शिकायतकर्ता 44,000/- रुपये की कामधेनु लोहे की छड़, चार सौ बोरी सीमेंट कुल 2,87,013/- रुपये की राशि जैसे सामान उधार देने के लिए सहमत हो गया और तदनुसार आरोपियों ने एक महीने के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने का वादा किया। यह भी आरोप लगाया गया है कि जब शिकायतकर्ता ने एक महीने के बाद बकाया राशि की मांग की तो आरोपी व्यक्ति ने मामले को किसी न किसी बहाने से लंबे समय तक टाला और आखिरकार 12-09-2014 को आरोपी नंबर 2 की उपस्थिति में आरोपी नंबर 1 ने रुपये का चेक जारी किया। मिश्रा हार्डवेयर के पक्ष में आईसीआईसीआई बैंक, दरभंगा का 2,87,013/- का चेक भुनाने के लिए प्रस्तुत किया गया था। चेक में पर्याप्त

बैलेंस न होने के कारण चेक वापस कर दिया गया। आगे आरोप है कि बैंक से चेक वापस करने के बाद शिकायतकर्ता ने 11-11-2014 को एक रजिस्टर्ड लीगल नोटिस भेजा, लेकिन उक्त नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद फिर से पहले के लीगल नोटिस का रिमाइंडर भेजा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। 01-01-2015 को अभियुक्तगण ने शिकायतकर्ता को बेनीपट्टी बाजार में देखा और बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा, जहां वे नाराज हो गए और कहा कि वे एक पैसा नहीं देंगे और मारपीट की। इसके बाद अभियुक्त संख्या 1 ने 1500/- रुपये का शॉल और अभियुक्त संख्या 2 ने 1500/- रुपये का 0.8 ग्राम सोने की अंगूठी और 1500/- रुपये का ऑटोमेटिक टाइम घड़ी ले लिया। उक्त घटना के बाद शिकायतकर्ता ने सबसे पहले पुलिस अधीक्षक को शिकायत की, जहां कोई कार्रवाई नहीं की गई और उसे वर्तमान शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि संज्ञान का आक्षेपित आदेश कानून की दृष्टि में केवल इस कारण से खराब प्रतीत होता है कि वर्तमान मामले में शिकायत दर्ज करने से पूर्व अधिनियम की धारा 142 के अनिवार्य प्रावधान का पालन नहीं किया गया तथा संज्ञान लेते समय विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को पूर्णतः नजरअंदाज किया गया। प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 12.09.2014 का चेक संबंधित बैंक के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर दिनांक 15.10.2014 को अपर्याप्त निधि के अभाव में अनादरित हो गया। अनादरित चेक का तथ्य दिनांक 11.11.2014 के नोटिस तथा दिनांक 01.12.2014 के दूसरे नोटिस के माध्यम से आहर्ता के संज्ञान में लाया गया। यह बताया गया है कि 11.11.2014 की पिछली सूचना की डाक रसीद अभिलेख पर नहीं लाई गई, जो केवल यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता को ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। यह भी बताया गया है कि इस मामले में शिकायत 20.01.2015 को दर्ज की गई थी, यानी नोटिस जारी करने के लगभग 50 दिन बाद। यह प्रस्तुत किया गया है कि नोटिस जारी करने और वर्तमान शिकायत दायर करने के लिए अधिनियम की धारा 142 के तहत अनिवार्य समय

अवधि का पालन किए बिना याचिका दायर की गई थी और इस तरह संज्ञान का विवादित आदेश कानून की नज़र में गलत है और इसलिए इसे रद्द करने और अलग रखने के लिए उपयुक्त है।

6. तर्क पर विचार करते हुए विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि चूंकि शिकायतकर्ता के साथ धोखाधड़ी करने जैसा कोई आरोप नहीं है, इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत संज्ञान लेना भी कानून की दृष्टि में खराब प्रतीत होता है। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने **जी. सागर सूरी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य** के मामले में जैसा कि (2000) 2 एससीसी 636 में रिपोर्ट किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने **हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम भजन लाल एवं अन्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर भी भरोसा किया, जो 1992 के पूरक (1) सर्वोच्च न्यायालय मामले 335 में रिपोर्ट की गई है।

7. विरोधी पक्ष संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मामला पक्षों के बीच समझौता हो गया है, लेकिन अभी भी याचिकाकर्ता के पास 30,000/- रुपये लंबित है। यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने समझौता कर लिया है, इसलिए अब वह अधिनियम की धारा 142 का सहारा लेकर देयता से इनकार नहीं कर सकती है।

8. इस मामले की कानूनी स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए, इस स्तर पर परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 142 को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा:-

142. अपराधों का संज्ञान

— [(1)] दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में निहित किसी बात के होते हुए भी-

(क) कोई भी अदालत धारा 138 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध

का संज्ञान नहीं लेगी, सिवाय चेक के प्राप्तकर्ता या धारक द्वारा की गई लिखित शिकायत के आधार पर,

(ख) ऐसी शिकायत धारा 138 के परंतुक के खंड (ग) के तहत कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तारीख से एक महीने के भीतर की जाती है।

[बशर्ते कि किसी शिकायत का संज्ञान निर्धारित अवधि के बाद न्यायालय द्वारा लिया जा सकता है, यदि शिकायतकर्ता न्यायालय को संतुष्ट करता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर शिकायत न करने का पर्याप्त कारण है।]

(ग) महानगर दंडाधिकारी या प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी से निम्न कोई भी न्यायालय धारा 138 के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध की सुनवाई नहीं करेगा।]

[(2) धारा 138 के तहत अपराध की जांच और सुनवाई केवल उसी न्यायालय द्वारा की जाएगी, जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में, –

(क) यदि चेक किसी खाते के माध्यम से संग्रहण के लिए वितरित किया जाता है, तो बैंक की वह शाखा स्थित होती है जहां प्राप्तकर्ता या धारक, जैसा भी मामला हो, खाता रखता है; या

(ख) यदि चेक भुगतानकर्ता या धारक द्वारा उचित समय पर भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है, अन्यथा किसी खाते के माध्यम से, अदाकर्ता बैंक की वह शाखा स्थित होती है जहां भुगतानकर्ता खाता रखता है।

9. यह भी उपयुक्त होगा कि इसे पुनः प्रस्तुत किया जाए पैरा संख्या 102

भजन लाल केस (सुप्रा) जो इस प्रकार है:

“102. अध्याय XIV के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति या धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में जिस संहिता को हमने ऊपर निकाला और पुनः प्रस्तुत किया है, उसमें हम उदाहरण के तौर पर मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां देते हैं, जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जा सकता है या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि यह हो सकता है संभव नहीं होगा कोई सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से चैनलयुक्त और अनम्य दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है या आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप और प्रथम सूचना प्रतिवेदन के साथ दी गई अन्य सामग्री, यदि कोई हो, में लगाए गए आरोप किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो धारा

155(2) के दायरे में दंडाधिकारी के आदेश के अलावा धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराया जा सकता है।

(3) जहां प्रथम सूचना प्रतिवेदन या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के किए जाने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।।

(4) जहां प्रथम सूचना प्रतिवेदन में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं हैं, बल्कि केवल असंज्ञेय अपराध हैं, वहां पुलिस अधिकारी द्वारा दंडाधिकारी के आदेश के बिना जांच की अनुमति नहीं है, जैसा कि संहिता की धारा 155(2) के तहत परिकल्पित है।

(5) जहां प्रथम सूचना प्रतिवेदन या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं कि उनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में कार्यवाही शुरू करने और जारी रखने पर स्पष्ट कानूनी रोक लगाई गई है और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान है, जो पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

(7) जहां आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से और/या उपस्थित होती है, जहां दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त पर बदला

लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने के उद्देश्य से शुरू की जाती है।”

10. उपरोक्त तथ्यात्मक एवं विधिक चर्चाओं के मद्देनजर ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान मामले में अधिनियम की धारा 142 के प्रावधानों का अनिवार्य अनुपालन नहीं किया गया है तथा इसका पालन किए बिना ही विद्वान क्षेत्राधिकारी दंडाधिकारी द्वारा संज्ञान लिया गया।

11. विरोधी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता भी समझौते के तथ्य का समर्थन करते हैं। प्रथम दृष्टया ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे धोखाधड़ी के आरोप को आकर्षित किया जा सके। याचिकाकर्ता का मामला **भजन लाल मामले (सुप्रा) और जी. सागर सूरि मामले (सुप्रा)** के पैरा संख्या 6 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आता प्रतीत होता है। तदनुसार, दिनांक 08.05.2015 का संज्ञान आदेश, इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के संबंध में सभी कार्यवाही के साथ, जैसा कि सी.आर. संख्या 90/75/2015 में पारित किया गया था, विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी मधुबनी के समक्ष लंबित है, को निरस्त किया जाता है और अपास्त किया जाता है।

12. आवेदन स्वीकार किया जाता है।

13. इस निर्णय की एक प्रति तत्काल विद्वान विचारण न्यायालय को भेजी जाए।।

2016 की आपराधिक विविध संख्या 4642

याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान काउंसिल और उत्तरदाताओं की ओर से विद्वान वकील को सुना गया।

2. वर्तमान निरस्तीकरण याचिका सीआर संख्या 2015 का 90/75 में पारित

दिनांक 08.05.2015 के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया, जिसमें विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी मधुबनी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 138 के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान लिया था।

3. विपक्षी पार्टी नं. 2 वर्तमान कार्यवाही में शामिल होती है ।

4. शिकायत याचिका के सार से यह प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता ने दिनांक 29-01-2015 को विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मधुबनी की अदालत में शिकायत मामला दर्ज कराया था, जिसमें कहा गया था कि उसकी बेनीपट्टी बाजार में हार्डवेयर, सीमेंट आदि की दुकान है, जहां घटना की तिथि यानी 05-08-2014 को आरोपी/याचिकाकर्ता उसके घर आए और उससे लोहे की छड़ और सीमेंट उधार देने का अनुरोध किया, जिसके लिए उनके पास वर्तमान में कोई पैसा नहीं था और देय राशि का भुगतान विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मधुबनी के न्यायालय में किया जाएगा। इसमें कहा गया था कि उसकी बेनीपट्टी बाजार में हार्डवेयर, सीमेंट आदि की दुकान है, जहां घटना की तिथि यानी 05-08-2014 को आरोपी/याचिकाकर्ता उसके घर आए और उससे लोहे की छड़ और सीमेंट उधार देने का अनुरोध किया, जिसके लिए उनके पास वर्तमान में कोई पैसा नहीं था और देय राशि का भुगतान विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मधुबनी के न्यायालय में किया जाएगा। 05-08-2014 को आरोपी/याचिकाकर्ता उसके घर आये और उससे लोहे की छड़ और सीमेंट उधार देने का अनुरोध किया, जिसके लिए उनके पास वर्तमान में कोई पैसा नहीं था और बकाया राशि एक महीने के भीतर भुगतान की जाएगी। आरोपी शिकायतकर्ता के अनुरोध पर, शिकायतकर्ता 44,000/- रुपये की कामधेनु लोहे की छड़, चार सौ बोरी सीमेंट कुल 2,87,013/- रुपये की राशि जैसे सामान उधार देने के लिए सहमत हो गया और तदनुसार आरोपियों ने एक महीने के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने का वादा किया। यह भी आरोप लगाया गया है कि जब शिकायतकर्ता ने एक महीने के बाद बकाया राशि की मांग की तो आरोपी व्यक्ति ने मामले को किसी न किसी बहाने से लंबे

समय तक टाला और आखिरकार 12-09-2014 को आरोपी नंबर 2 की उपस्थिति में आरोपी नंबर 1 ने रुपये का चेक जारी किया। मिश्रा हार्डवेयर के पक्ष में आईसीआईसीआई बैंक, दरभंगा का 2,87,013/- का चेक भुनाने के लिए प्रस्तुत किया गया था। चेक में पर्याप्त बैलेंस न होने के कारण चेक वापस कर दिया गया। आगे आरोप है कि बैंक से चेक वापस करने के बाद शिकायतकर्ता ने 11-11-2014 को एक रजिस्टर्ड लीगल नोटिस भेजा, लेकिन उक्त नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद फिर से पहले के लीगल नोटिस का रिमाइंडर भेजा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। 01-01-2015 को अभियुक्तगण ने शिकायतकर्ता को बेनीपट्टी बाजार में देखा और बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा, जहां वे नाराज हो गए और कहा कि वे एक पैसा नहीं देंगे और मारपीट की। इसके बाद अभियुक्त संख्या 1 ने 1500/- रुपये का शॉल और अभियुक्त संख्या 2 ने 1500/- रुपये का 0.8 ग्राम सोने की अंगूठी और 1500/- रुपये का ऑटोमेटिक टाइटन घड़ी ले लिया। उक्त घटना के बाद शिकायतकर्ता ने सबसे पहले पुलिस अधीक्षक को शिकायत की, जहां कोई कार्रवाई नहीं की गई और उसे वर्तमान शिकायत दर्ज करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि संज्ञान का आक्षेपित आदेश कानून की दृष्टि में केवल इस कारण से खराब प्रतीत होता है कि वर्तमान मामले में शिकायत दर्ज करने से पूर्व अधिनियम की धारा 142 के अनिवार्य प्रावधान का पालन नहीं किया गया तथा संज्ञान लेते समय विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को पूर्णतः नजरअंदाज किया गया। प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 12.09.2014 का चेक संबंधित बैंक के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर दिनांक 15.10.2014 को अपर्याप्त निधि के अभाव में अनादरित हो गया। अनादरित चेक का तथ्य दिनांक 11.11.2014 के नोटिस तथा दिनांक 01.12.2014 के दूसरे नोटिस के माध्यम से आहर्ता के संज्ञान में लाया गया। यह बताया गया है कि 11.11.2014 की पिछली सूचना की डाक रसीद अभिलेख पर नहीं लाई गई, जो केवल यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता को ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। यह भी

बताया गया है कि इस मामले में शिकायत 20.01.2015 को दर्ज की गई थी, यानी नोटिस जारी करने के लगभग 50 दिन बाद। यह प्रस्तुत किया गया है कि नोटिस जारी करने और वर्तमान शिकायत दायर करने के लिए अधिनियम की धारा 142 के तहत अनिवार्य समय अवधि का पालन किए बिना याचिका दायर की गई थी और इस तरह संज्ञान का विवादित आदेश कानून की नज़र में गलत है और इसलिए इसे रद्द करने और अलग रखने के लिए उपयुक्त है।

6. तर्क पर विचार करते हुए विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि चूंकि शिकायतकर्ता के साथ धोखाधड़ी करने जैसा कोई आरोप नहीं है, इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत संज्ञान लेना भी कानून की दृष्टि में खराब प्रतीत होता है। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने **जी. सागर सूरी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य** के मामले में जैसा कि (2000) 2 एससीसी 636 में रिपोर्ट किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने **हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम भजन लाल एवं अन्य** के मामले में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर भी भरोसा किया, जो 1992 के पूरक (1) सर्वोच्च न्यायालय मामले 335 में रिपोर्ट की गई है।**

7. विरोधी पक्ष संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मामला पक्षों के बीच समझौता हो गया है, लेकिन अभी भी याचिकाकर्ता के पास 30,000/- रुपये लंबित है। यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने समझौता कर लिया है, इसलिए अब वह अधिनियम की धारा 142 का सहारा लेकर देयता से इनकार नहीं कर सकती है।

8. इस मामले की कानूनी स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए, इस स्तर पर परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 142 को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा:-

142. अपराधों का संज्ञान

– [(1)] दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में निहित किसी बात के होते हुए भी-

(क) कोई भी अदालत धारा 138 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी, सिवाय चेक के प्राप्तकर्ता या धारक द्वारा की गई लिखित शिकायत के आधार पर,

(ख) ऐसी शिकायत धारा 138 के परंतुक के खंड (ग) के तहत कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तारीख से एक महीने के भीतर की जाती है।

[बशर्ते कि किसी शिकायत का संज्ञान निर्धारित अवधि के बाद न्यायालय द्वारा लिया जा सकता है, यदि शिकायतकर्ता न्यायालय को संतुष्ट करता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर शिकायत न करने का पर्याप्त कारण है।]

(ग) महानगर दंडाधिकारी या प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी से निम्न कोई भी न्यायालय धारा 138 के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध की सुनवाई नहीं करेगा।]

[(2) धारा 138 के तहत अपराध की जांच और सुनवाई केवल उसी न्यायालय द्वारा की जाएगी, जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में, –

(क) यदि चेक किसी खाते के माध्यम से संग्रहण के लिए वितरित किया जाता है, तो बैंक की वह शाखा स्थित होती है जहां प्राप्तकर्ता या धारक, जैसा भी मामला हो, खाता रखता है; या

(ख) यदि चेक भुगतानकर्ता या धारक द्वारा उचित समय पर भुगतान

के लिए प्रस्तुत किया जाता है, अन्यथा किसी खाते के माध्यम से, अदाकर्ता बैंक की वह शाखा स्थित होती है जहां भुगतानकर्ता खाता रखता है।

9. यह भी उपयुक्त होगा कि इसे पुनः प्रस्तुत किया जाए पैरा संख्या 102

भजन लाल केस (सुप्रा) जो इस प्रकार है:

“102. अध्याय XIV के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति या धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में जिस संहिता को हमने ऊपर निकाला और पुनः प्रस्तुत किया है, उसमें हम उदाहरण के तौर पर मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां देते हैं, जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जा सकता है या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि यह हो सकता है संभव नहीं होगा कोई सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से चैनलयुक्त और अनम्य दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है या आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप और प्रथम सूचना प्रतिवेदन के साथ दी गई अन्य सामग्री, यदि कोई हो, में लगाए गए आरोप किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो धारा 155(2) के दायरे में दंडाधिकारी के आदेश के अलावा धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराया जा सकता है।

(3) जहां प्रथम सूचना प्रतिवेदन या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के किए जाने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।।

(4) जहां प्रथम सूचना प्रतिवेदन में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं हैं, बल्कि केवल असंज्ञेय अपराध हैं, वहां पुलिस अधिकारी द्वारा दंडाधिकारी के आदेश के बिना जांच की अनुमति नहीं है, जैसा कि संहिता की धारा 155(2) के तहत परिकल्पित है।

(5) जहां प्रथम सूचना प्रतिवेदन या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं कि उनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में कार्यवाही शुरू करने और जारी रखने पर स्पष्ट कानूनी रोक लगाई गई है और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान है, जो पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

(7) जहां आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से और/या उपस्थित होती है, जहां दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त पर बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने के उद्देश्य से शुरू की जाती है।”

10. उपरोक्त तथ्यात्मक एवं विधिक चर्चाओं के मद्देनजर ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान मामले में अधिनियम की धारा 142 के प्रावधानों का अनिवार्य अनुपालन नहीं किया गया है तथा इसका पालन किए बिना ही विद्वान क्षेत्राधिकारी दंडाधिकारी द्वारा संज्ञान लिया गया।

11. विरोधी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता भी समझौते के तथ्य का समर्थन करते हैं। प्रथम दृष्टया ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे धोखाधड़ी के आरोप को आकर्षित किया जा सके। याचिकाकर्ता का मामला **भजन लाल मामले (सुप्रा)** और **जी. सागर सूरि मामले (सुप्रा)** के पैरा संख्या 6 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आता प्रतीत होता है। तदनुसार, दिनांक 08.05.2015 का संज्ञान आदेश, इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के संबंध में सभी कार्यवाही के साथ, जैसा कि सी.आर. संख्या 90/75/2015 में पारित किया गया था, विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी मधुबनी के समक्ष लंबित है, को निरस्त किया जाता है और अपास्त किया जाता है।

12. आवेदन स्वीकार किया जाता है।

13. इस निर्णय की एक प्रति तत्काल विद्वान विचारण न्यायालय को भेजी जाए।

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

एस.त्रिपाठी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।